

479

142

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर दिनांक 02.8.2013

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम रा. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है एतद्वारा राजस्थान नगरीय दौत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा हेतु नियम 4 के उप-नियम (1) या नियमितिकरण के लिए नियम 16 के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रसारण शहरी के साथ अभियान के दौरान दिनांक 30.9.2013 तक प्रस्तुत किया जाना वाला शपथ पत्रों पर दिये स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करती है।

(स.एफ.27/0) दिनांक 12.8.13
राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य पारीक)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि विभाजित की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को गये विल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

(424)

148

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर का असाधारण राज्य का नाम 2 (एक) में प्रकाशनाथेन कृपया इसकी 10 प्रतिमा इस विभाग को तथा 20 प्रतिमा महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मारा वित्त विभाग को ज्ञापित करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (विज्ञा) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सामक निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सार्वजनिक एकाधिकार, वित्त (कमप्युटर सेवा) विभाग।
12. संबंधित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

(425)